संख्या– 319 /XVII–2–19–01(04)/2019

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी–नैनीताल।

2– निदेशक,
जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 13 मार्च,2019

विषयः–छात्रवृत्ति वितरण हेतु संस्थानों की सम्बद्धता (Affiliation) का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, जनजाति कल्याण निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–6710/ज0जा0क0/छात्रवृत्ति/2018–19 दिनांक 07.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पूर्व में निर्गत शासनादेशों में छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थानों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित संस्थान की सम्बद्धता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश में प्राविधान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार किया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्तियों के कियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–787/ XVII–4/2017–01(82)/2014 दिनांक 01 जनवरी,2018, एवं समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में छात्रवृत्ति के भुगतान के सम्बन्ध में संस्थानों की AICTE, MCI, NCTE आदि विनियमन निकायों की मान्यता देखने का प्राविधान तो है, किन्तु संस्थानों की सम्बद्धता (Affiliation) देखे जाने के प्राविधान का उल्लेख नहीं है।

3–. उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–787/XVII–4/2017–01(82)/2014 दिनांक 01 जनवरी, 2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्तियों के भुगतान/वितरण से पूर्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों की उपरोक्तानुसार संगत विनियमन निकाय से मान्यता के अतिरिक्त विधि द्वारा स्थापित संस्थान/परिषद आदि से सम्बद्धता (Affiliation) का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति के भुगतान/वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

4– उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त शासनादेश में समय–समय पर किये गये संशोधन एवं अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

13/3/2019

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कमशः–

AO (P)

Dir.

13/3/2019

Letter 2019-20

पृष्ठांकन संख्याः— /XVII–2/19–01(04)/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री को मा0 समाज कल्याण मंत्री जी के संज्ञानार्थ
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
5. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
6. नोडल अधिकारी, समाज कल्याण, आई0टी0सेल, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

Letter 2019-20